81

1943
19/2/16

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले विभाग

संख्या: एफ.डी.एस.–ए(3)–12/2002 तारीख, शिमला–2, 17 फरवरी, 2016

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में दफ्तरी वर्ग– IV (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न् उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दफ्तरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृतियां 2 (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या–एफ.डी.एस–ए(3)12/2002 तारीख 04 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग दफ्तरी,, वर्ग– IV (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा

आर0डी0 धीमान
प्रधान सचिव(खा0ना0आ0एवंउ0मा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

JD-I
18/2

18/02

Supdt. (A)
Sh. Saroj
JD-I
18/02/16

पृष्ठांकन संख्या: एफ.डी.एस.–ए(3)–12/2002 तारीख: शिमला–171002, 17 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि प्रेषित है:–

1. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव(विधि)हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0, शिमला–9
3. सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–171002 को उनके पत्र संख्या 1–6/71–पार्ट दिनांक 06.08.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, हिमाचल प्रदेश, शिमला –9.

दुर्गा सिंह

(दुर्गा सिंह भाटिया)
अवर सचिव(खा0ना0आ0एव उ0मा0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में दफ्तरी वर्ग– IV (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	:	दफ्तरी।
2.	पदों की संख्या	:	2(दो)।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग–IV (अराजपत्रित)।
4.	वेतनमान		₹ 4900–10600+ 1650 ग्रेड पे।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	:	अचयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	:	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए		लागू नहीं ।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही।		लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।		दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों मे और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतताः		शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11.	प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट / स्थानान्तरण किया जाऐगा ।		चपड़ासी / चौकीदार में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके अपने अपने ग्रेड में की गई सेवाकाल के आधार पर उनकी सम्पूर्ण वरियता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

दुर्गम लिए

स्वीकार प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसेज) रूल्ज,1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में उसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई हो :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी

4/

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. FDS-A(3)-12/2002 DATED 17-02-2016 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.)

Government of Himachal Pradesh
Food, Civil Supplies & Consumer
Affairs Department.
***

No. FDS-A(3)-12/2002 Dated: Shimla-17 002, 17th February, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is please to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Daftri, Class-IV, (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title and commencement: 1 (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Daftri, Class-IV, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and Savings: 2 (1) The Himachal Pradesh Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Daftri (Class-IV Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified vide this Department notification No. FDS-A(3)-12/2002 dated 04th July, 2003 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under these rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order

R.D.Dhiman
Principal Secretary (FCS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. No. FDS- A(3)-12/2002 Dated Shimla-17 002, 17th February, 2016.

Copy to:

1. The JLR-cum-Joint Secretary Law(opinion) to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Director, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh, Shimla-9.
3. Guard File.

(Durga Singh Bhatia)
Under Secretary (FCS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh.
Ph. 2628499